

संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी
6वीं मंजिल, विन्ध्याचल भवन, भोपाल

क./उद्यान/अ-1/स्था/सम.वे. /15-16/ 85

भोपाल दिनांक: 24/11/17

// आदेश //

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-11-1/2008/नियम/चार, दिनांक 24.01.2008 एवं तत्संबंधी जारी स्पष्टीकरण क्रमांक/एफ-11/1/2008 नियम/चार, भोपाल दिनांक 01.04.2008 समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 04.08.2008 एवं ज्ञापन दिनांक 24.09.2008 तथा मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, वल्लभ भवन-मंत्रालय के ज्ञापन क्रमांक एफ-11-17/2014/4/नियम/चार, भोपाल दिनांक 30.सितम्बर 2014 में निहित निर्देशानुसार विभाग में कार्यरत निम्नांकित उद्यान विकास अधिकारियों को समयमान वेतनमान (Time Scale Pay) दिया जाता है:-

- (1) समयमान वेतनमान में वेतन निर्धारण मूलभूत नियम-22 (ए) (1) के तहत होगा एवं वेतन वृद्धि की तिथि पूर्ववत ही रहेगी ।
- (2) सिविल सेवा के किसी सदस्य की पदोन्नति होने पर यदि वह पहले से पदोन्नति पद के वेतनमान पर इस योजना अन्तर्गत नियुक्त है तो उसे पदोन्नति पश्चात वेतन निर्धारण हेतु अपने मूल पद के सन्दर्भ में मूलभूत नियम-22 (डी) के अन्तर्गत अथवा उच्चतर वेतनमान में प्राप्त वेतन के संदर्भ में मूलभूत नियम -22 (डी) (ए) 2 के अन्तर्गत जो भी अधिक लाभदायक हो, का लाभ उपलब्ध होगा ।
- (3) इस योजना के अंतर्गत उच्चतर वेतनमान का वित्तीय लाभ लेने के पश्चात यदि कोई कर्मचारी बाद में नियमित पदोन्नति स्वीकार करने से इन्कार करता है, तो उसे पूर्व से स्वीकृत उच्चतर वेतनमान के अंतर्गत वित्तीय लाभ वापस नहीं लिया जावेगा, परन्तु बाद में उसे कोई उच्चतर वेतनमान वित्तीय लाभ देय नहीं होगा ।
- (4) मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ-11-17/2014/4/नियम/चार, दिनांक 30.09.2014 के क्रियान्वयन में जिन सिविल सेवाओं के लिये वेतनमान का उन्नयन किया गया है उनके सदस्यों को इस संशोधित वेतनमान में काल्पनिक नियुक्ति पूर्व तिथि से मानते हुए इस योजना का लाभ दिनांक 01.07.2014 से दिया जावेगा ।
- (5) यदि किसी कर्मचारी द्वारा नियुक्ति पश्चात स्नातक होने का लाभ लिया गया है उस कर्मचारी को तृतीय समयमान का लाभ देने के पूर्व संचालनालय को अवगत करायें ।

निरन्तर—2

(6) संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, मध्य प्रदेश के अधिनस्थ कार्यरत उद्यान विकास अधिकारियों, को 30 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर निम्नानुसार समयमान वेतनमान स्वीकृत किया जाता है :-

क	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना स्थल	शासकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति दिनांक	संवर्ग में मूल वेतनमान	वर्तमान में प्राप्त वेतनमान	संवर्ग में 30 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर देय तृतीय समयमान वेतनमान	तृतीय समयमान वेतनमान स्वीकृति दिनांक
1	श्री उमा शंकर दीक्षित	जबलपुर	02.04.1985	5200-20200 +2400	9300-34800 +3200	9300-34800 +4200	02.04.2015
2	श्री महेश प्रसाद शर्मा	उमरिया	21.03.1985	200-20200 +2400	9300-34800 +3200	9300-34800 +4200	21.03.2015
3	श्री पूजाराम शर्मा	उमरिया	19.04.1985	5200-20200 +2400	9300-34800 +3200	9300-34800 +4200	19.04.2015
4	श्री द्वारका प्रसाद हरदहा	डिण्डोरी	21.06.1983	5200-20200 +2100	5200-20200 +2800	9300-34800 +3200	01.07.2014
5	श्री निर्मल कुमार मिश्रा	झाबुआ	27.04.1980	5200-20200 +2100	5200-20200 +2800	9300-34800 +3200	01.07.2014
6	श्री मानसिंह चौहान	बुरहानपुर	05.10.1985	5200-20200 +2400	9300-34800 +3200	9300-34800 +4200	05.10.2015
7	श्री गेदालाल गिरवाल	झाबुआ	14.10.1985	5200-20200 +2100	5200-20200 +2800	9300-34800 +3200	14.10.2015
8	श्री मुरारीलाल कार्णिक	मंदसौर	20.05.1986	5200-20200 +2400	9300-34800 +3200	9300-34800 +4200	20.05.2016
9	श्री त्रिलोकी नाथ तिवारी	लखनवाडा फार्म जबलपुर	02.04.1985	5200-20200 +2400	9300-34800 +3200	9300-34800 +4200	02.04.2015
10	श्री संतोष कुमार भार्गव	उप संचालक उद्यान उज्जैन	30.06.1984	5200-20200 +2400	9300-34800 +3200	9300-34800 +4200	01.07.2014
11	श्री हाकिम सिंह नरवरिया	उप संचालक उद्यान उज्जैन	01.10.1982	5200-20200 +2400	9300-34800 +3200	9300-34800 +4200	01.07.2014
12	श्री सैयद राशिद अली	मण्डला	17.07.1984	5200-20200 +2400	9300-34800 +3200	9300-34800 +4200	17.07.2014
13	श्री सुन्दरलाल धुमकेती	मण्डला	28.03.1985	5200-20200 +2100	5200-20200 +2800	9300-34800 +3200	28.03.2015

उच्चतर वेतनमान में वेतन नियतन पश्चात शासकीय कर्मचारी के वेतन नियतन की जांच संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा एवं पेंशन द्वारा कराना सुनिश्चित करें, उसके उपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही की जाये ।

(सत्यानन्द)
संचालक

उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी
म.प्र. भोपाल
निरन्तर—3